

न्यायालय- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखीमपुर-खीरी।

कम्प्यूटर संख्या-

राज्य

बनाम

जगताराम आदि

आदेश

अभियुक्तगण जगताराम , आशाराम की ओर से जमानत प्रार्थना-पत्र रेन्ज केस संख्या 22/09-10 धारा 27,29,31,35(6),50,51(1) वन्य जीव संरक्षण अधिनियम व धारा 26,41,42 भारतीय वन अधिनियम रेन्ज बेलरायों जिला खीरी में प्रस्तुत किया गया।

सुना अवलोकन किया।

अभियुक्तगण कारागार में निरुद्ध है। अभियुक्तगण द्वारा बेलरायों रेन्ज में आयुद्ध के साथ अवैध रूप से प्रवेश करके वन्य जीवों के प्राकृतिक वासस्थल साल प्रजाति के दो बृक्ष उखड़े गिरे , को नष्ट करके प्राप्त की गयी वन उपज को अवैध अभिवहन करना कहा गया है। अभियुक्तगण पर लगाया आरोप अजमानतीय, गम्भीर है, केस के तथ्य एवं परिस्थितियों के आलोक में आधार जमानत पर्याप्त नहीं है। अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना-पत्र निरस्त किया जाता है।

सी0जे0एम0

खीरी।

22-1-2019